हुक्म
करने की

23/8/24 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में स्टेट पक्ष की ओर से दिनांक 23.08.2024 को रिपोर्ट प्रेषित की गई कि प्रार्थीया राजेश कँवर पुत्री हरनाम सिंह द्वारा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज भूमि चक 6 एपीडी तहसील श्रीविजयनगर के मु0न0 27 प0न0 232/401 एवं मु0न0 32 प0न0 232/402 की कुल 12.523 हैक्टर 626/12523 हिस्सा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 11.09.2023 को हरदीप सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह को विक्रय (बेचान) की जा चुकी है। संदर्भित भूमि जरिये इंतकाल संख्या 339 दिनांक 20.11.2023 द्वारा क्रेता हरदीप सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज हो चुकी है।

प्रार्थीया राजेश कँवर पुत्री हरनामसिंह पत्नि दशरथ सिंह शेखावत जाति राजपुत निवासी 36 ए केरियर टाउनशिप, थेकड़ा इण्डस्ट्रीयल एस्टेट कोटा तहसील एवं जिला कोटा द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 14.12.2020 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट प्रस्तुत कर चक 6 एपीडी तहसील श्रीविजयनगर के मु0न0 27 प0न0 232/401 एवं मु0न0 232/402 प0न0 32 की कुल 12.523 हैक्टर 626/12523 हिस्सा भूमि की जमाबन्दी में अपना नाम राजेश कँवर के स्थान पर राजेश कँवर उर्फ राज शेखावत पुत्री हरनामसिंह पत्नि दशरथ सिंह दुरूस्त करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया था।

तहसीलदार श्रीविजयनगर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया राजेश कँवर द्वारा अपने हिस्सा की भूमि का बेचान किया जा चुका है, हिस्से की भूमि का बेचान होने से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीया का नाम संदर्भित भूमि की जमाबन्दी में दर्ज नही है, जिस कारण पत्रावली में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। अतः इसी आधार पर पत्रावली खारिज कर दाखिल दफतर करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आदिनांक 23/08/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

24.06.24 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका है। पत्रावली दिनांक 24/7/24 को पेश हो।

24.07.24 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त/अवकाश/मुख्यालय से बाहर पधारे हैं। पत्रावली दिनांक 23.8.24 को पेश हो।